अनवान शांता बेन बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 02 / 2025
निर्णय तारीख:– 07.11.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :– 02 / 2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 34
अनवान

1. शांता बेन पत्नी लक्ष्मणभाई जाति ब्राहम्मण निवासी अमरापुरी (बिछावाड़ी) तहसील सांचौर।

प्रार्थीया.................

1. सरकार तहसीलदार सांचौर।

अप्रार्थी...........

प्रार्थना–पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती करने अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :– 18.02.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता इब्राहिम शाह उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 एकपक्षीय।

–:निर्णय:–

दिनांक :–07.11.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मैं प्रार्थीया गांव अमरापुरी (बिछावाडी) की निवासी हैं, मुझ प्रार्थीया के नाम की खातेदार आराजी नवीन खसरा संख्या 242 रकबा 1.88 हैक्टर व खसरा संख्या 658 / 2043 रकबा 0.31 हैक्टर आई हुई हैं। प्रार्थीया के पति का नाम लक्ष्मणभाई पुत्र धर्माजी है लेकिन खातेदारी भूमि में प्रार्थीया के पति का नाम पीराराम उर्फ लक्ष्मणभाई भूलवश दर्ज हो गया हैं। उक्त खातेदारी आराजी में प्रार्थीया के पति का नाम लक्ष्मणभाई के साथ साथ उर्फ पीराराम लिखा हुआ होने के कारण प्रार्थीया को खेती संबंधी राजकाज में भारी परेशानी का सामना करना पड रहा हैं तथा पीराराम व लक्ष्मणभाई एक ही व्यक्ति होने का बार–बार शपथ पत्र भी देना पडता है। इस प्रकार प्रार्थीया की उक्त खातेदार आराजी में शांताबेन पत्नी पीराराम उर्फ लक्ष्मणभाई के बजाय शांताबेन पत्नी लक्ष्मणभाई रेकर्ड में दुरुस्त किया [illegible] संगत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय अदालत [illegible] पटवार हल्का–बिछावाडी, तहसील व जिला–सांचौर में स्थित खातेदार [illegible] नवीन खसरा नंबर–242 व 658 / 2043 में शांताबेन पत्नी पीराराम उर्फ लक्ष्मणभा[illegible]की बजाय शांताबेन पत्नी लक्ष्मणभाई रेकर्ड में दुरुस्त करने का आदेश तहसीलदार सांचौर को देने की कृपा करावें।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:11:00 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया अमरापुरी की निवासी है, जहॉ पर प्रार्थीया के नाम की खातेदारी आराजी नवीन खसरा संख्या 242 रकबा 1.88 हैक्टेयर व खसरा संख्या 658/2043 रकबा 0.31 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीया के पति का नाम लक्ष्मणभाई पुत्र धर्माजी है लेकिन खातेदारी भूमि में प्रार्थीया के पति का नाम पीराराम उर्फ लक्ष्मणभाई भूलवंश दर्ज हो गया है। खातेदारी आराजी में प्रार्थीया के पति का नाम लक्ष्मणभाई के साथ–साथ उर्फ पीराराम लिखा हुआ होने से प्रार्थीया को खेती संबंधी राजकाज में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा पीराराम व लक्ष्मणभाई एक ही व्यक्ति होने का बार–बार शपथ–पत्र देना पड़ रहा है। अतः निवेदन है कि गांव अमरापुरी में स्थित खातेदारी आराजी नवीन खसरा संख्या 242 व 658/2043 में शांताबेन पत्नी पीराराम उर्फ लक्ष्मणभाई की शांताबेन पत्नी लक्ष्मणभाई रेकर्ड में दुरूस्त करने का आदेश फरमावें।

4. मैने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तथा प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रार्थीया ने धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम का प्रार्थना– पत्र पेश कर बताया है कि ग्राम अमरापुरी के खेत खसरा संख्या 242 व 658/2043 में शांताबेन पत्नी पीराराम उर्फ लक्ष्मणभाई की बजाय शांताबेन पत्नी लक्ष्मणभाई रेकर्ड में दुरूस्त करने बाबत् मांग की है।

5. जिस पर प्रार्थीया द्वारा पेश दानपत्र की प्रति का अध्ययन व अवलोकन किया जिसके अनुसार पीराराम पुत्र धर्माराम जाति– ब्राहम्ण निवासी अमरापुरी (बिछावाडी) ने अपनी पत्नी श्रीमति शांताबेन धर्मपत्नी पीराराम उर्फ लक्ष्मणभाई जाति– ब्राहम्मण निवासी अमरापुरी (बिछावाड़ी) को दानपत्र के जरिये दान की है तथा उक्त दानपत्र के जरिये प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। इस प्रकार उक्त प्रार्थना–पत्र धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत ऐसे प्रकरणों की सुनवाई की जाती है जो भूमि अभिलेखों में लिपिकीय या तकनीकी त्रुटियों को सुधारने से संबंधित हो। यह धारा किसी भी पक्षकार को नए खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं करती, बल्कि केवल मौजूद[illegible] हुई गलतियों को सही करने की अनुमति देती है, ऐसी स्थि[illegible] किसी भी प्रकार की राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय या तकनीकी त्रुटि नहीं हुई है। इसी [illegible] उक्त दानपत्र प्रार्थीया को अपने पति द्वारा होना बताया है, जबकि दोनों पक्षका[illegible]क ही परिवार के होने से उक्त दानपत्र को पंजियन कार्यालय से संशोधित करवा सकते है जबकि प्रार्थीया द्वारा उक्त दानपत्र को न तो पंजियन कार्यालय में संशोधित करवाने बाबत् कार्यवाही की है तथा न ही खातेदारी घोषणा बाबत् वाद पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:11:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

6. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया द्वारा पेश उक्त प्रकरण धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की श्रेणी में नहीं आने से व इस न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है।

–:आदेशः–

प्रार्थीया का धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम का प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं होने से खारिज किया जाता है। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

निर्णय आज दिनांक **07.11.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:11:00 IST
Reason: SelfAttested